छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में महिला नेतृत्व
एक राजनीतिक विश्लेषण

FINAL REPORT
SUMMARY

Submitted to
University Grant Commission,
Central Regional Office
Bhopal (M.P.)

Principal Investigator

(Dr. Pradeep Kumar Jamulkar)
Assistant Professor
Govt. P. G. Nehru Degree College
Dongergarh (C.G.)

Principal
RESEARCH CENTRE
GOVERNMENT P.G.NEHRU DEGREE COLLEGE
DONGERGARH (CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में महिला नेतृत्व एक राजनीतिक विश्लेषण

FINAL REPORT
SUMMARY

Submitted to
University Grant Commission,
Central Regional Office
Bhopal (M.P.)

Principal Investigator

(Dr. Pradeep Kumar Jamulkar)
Assistant Professor
Govt. P. G. Nehru Degree College
Dongergarh (C.G.)

Principal
RESEARCH CENTRE
GOVERNMENT P.G.NEHRU DEGREE COLLEGE
DONGERGARH (CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में महिला नेतृत्व एक राजनीतिक विश्लेषण

FINAL REPORT
SUMMARY

Submitted to
University Grant Commission,
Central Regional Office
Bhopal (M.P.)

Principal Investigator

(Dr. Pradeep Kumar Jamulkar)
Assistant Professor
Govt. P. G. Nehru Degree College
Dongergarh (C.G.)

Principal
RESEARCH CENTRE
GOVERNMENT P.G.NEHRU DEGREE COLLEGE
DONGERGARH (CHHATTISGARH)

प्रमुख अध्याय

क्रं.	अध्याय
1	प्रस्तावना (भूमिका)
2	भौगोलिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
3	नेतृत्व की अवधारण एवं महिला नेवृत्व
4	पंचायती राज अधिनियम और महिला नेतृत्व
5	महिलाओ में राजनीतिक चेतना
6	निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तावना :–

भारत गाँवों का देश है। भारतीय ग्रामीण समाज की जो परम्परागत आस्थाएँ विश्वास, मान्यताएँ, आदर्श व मूल्य है, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदर्श है– **"पंच परमेश्वर की धारणा। हजारों वर्ष उपरांत भी यह धारणा हमारी ग्रामीण संस्कृति की विशिष्ट पहचान है।** पं. नेहरू का कहना था "गॉव वालों की इच्छा जानने का एक मात्र मंच पंचायत ही हो सकता है। पंचायतों मजबूत हो तो गॉव मजबूत होगा, गॉव से जिला, जिले से राज्य और राज्य से देश मजबूत होगा। पंचायत व्यवस्था का इतिहास भारत में बहुत पुराना है, सदियों पुराना। आदिम समाज ने जब सभ्यता की ओर बढ़ना शुरू किया, संभवतः तब से ही पंचायत व्यवस्था शुरू हुई।

भारतीय समाज व्यवस्था में स्वशासन की परंपरा को देखते हुए स्वाधीन भारत में ग्रामीण एवं क्षेत्रीय सतर पर प्रशासन एवं विकास के तंत्र को विकेन्द्रित करने का प्रयास आरंभ किया गया । संविधान के निर्माताओं ने भी एक सीमा तक इस विचार को मान्य किया और नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका समावेश किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 40 के भाग 4 में कहा गया कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। और उसे इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा जिससे गॉव स्वशासन के रूप में कार्य कर सके। इस विचार को गति प्रदान करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया, जिसमें ग्राम. स्तर पर ग्राम कार्यकर्ता लगाने की योजना बना। इसे कार्यकर्ता शक्ति के माध्यम से ग्राम संगठन प्रसार तथा विकास कार्य को गति देन का प्रयास आरंभ किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव से यह महसूस किया गया कि गॉव के कमजोर वर्ग, दस्तकार, छोटे किसान, भूमिहीन आदि की भागीदारी सामुदायिक विकास तथा विस्तार कार्यक्रमों में नहीं मिल पाती है। अतः सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर

कमजोर वर्ग की समग्र भागीदारी के लिए अधिक कारगर प्रयास किया जाना आवश्यक समझा गया। इस दृष्टि से जनवरी 1957 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में अध्ययनदल का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशें के बाद 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में देश में विधिवत पंचायती राज की स्थापना की गयी। 1959 के लगभग एक दशक तक पंचायती राज की प्रगति के लिए केन्द्र तथा राज्यों के द्वारा कदम उठाये जाते रहे, लेकिन 1965–1969 के मध्य यह उत्साह भी ठंडा पड़ गया और 1969–1977 का समय पंचायती राज संस्थानों के लिए पतन का काल रहा। 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे 1980 में तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने स्वीकार नहीं किया। फिर 1985 में जी.बी.के राव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी, जिसने खण्ड स्तरीय पुनरूत्थान पर बल दिया लेकिन इस पर भी अमल नहीं किया जा सका। ऐसा ही हश्र 1986 में बनी सिंधवी समिति की रिपोर्ट का हुआ और फिर आखिर क रवह दिन आ ही गया, जब नरसिम्हाराव सरकार ने राजीव गांधी सरकार द्वारा तैयार किये गये पंचायती राज संस्थानों से संबंधित विधेयक को संशोधित कर दिसम्बर 1992 में 73 वें संविधान संशोधन के रूप में संसद में पारित करवाया । यह 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया।

अध्ययन विषय का राजनीतिक महत्व :–

भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का मुख्य परिणाम ग्रामीण नेतृत्व में होने वाला परिवर्तन है। वास्तविकता यह है कि किसी भी समुदाय की सामाजिक संरचना को समझने के लिए उस समुदाय की शक्ति संरचना को समझना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि समुदाय में शक्ति संरचना के अनुसार ही विभिन्न व्यक्तियों और समूहों की स्थिति का निर्धारण होता है। भारत में ग्रामीण समुदाय में

बहुत प्राचीन काल से ही व्यक्तियों की परिस्थितियों का निर्धारण वहां की शक्ति संरचना के आधार पर होता रहा है। जब कभी भी नेतृत्व की प्रकृति बदलती है तो समुदाय में शक्ति के आधार भी बदलने लगते हैं। कुछ समय पूर्व तक जब गॉवों में जाति और धर्म पर आधारित आनुवांशिक नेतृत्व की प्रधानता थी तब ग्रामीण शक्ति संरचना में जाति पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन जैसे–जैसे आनुवांशिक नेतृत्व के स्थान पर लोकतांत्रिक का महत्व बढ़ने लगा गॉवों की सामाजिक संरचना में भी व्यापक परिवर्तन होने लगा। महिला नेतृत्व के पश्चात् तो स्थिति और भी परिवर्तित हो गई जिनका कार्य क्षेत्र सामान्यतः घर और परिवार तक सीमित था अब वह खुले मंचों की ओर बढ़ने लगी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी हमें ग्रामीण में देखने को मिले।

नेतृत्व एक सार्वभौमिक घटना है। जहॉ कहीं भी जीवन हैं, वहीं समाज भी है और जहॉ समाज है, वहॉ नेतृत्व के भी दर्शन होते हैं। जहॉ तक समाज में महिला नेतृत्व का प्रश्न है, यह सच है कि पुरूषवादी समाज में महिलाओं को नेतृत्व का लोहा समाज ने माना है। बात चाहे रानी दुर्गावती की हो, चाहे रजिया सुलतान, देवी अहिल्या बाई, रानी लक्ष्मीबाई, एनीबेंसेंट, सरोजनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा की हो इन सभी के योगदार को भुलाया नहीं जा सकता।

प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र में महिला नेतृत्व से संबंधित है। ग्राम पंचायत पंचायत भारतीय समाज का आधार स्तंभ और केंद्र बिन्दु है, जहां से राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वार खुलते है। महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उनकी राजनैतिक सहभागिता लगभग नगण्य रही है। वर्तमान पंचायती राज सामाजिक समता और न्याय, आर्थिक विकास और व्यक्तित्व

की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन को नया रूप देने का सामूहिक प्रयास है। जिसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में किया जा रहा प्रयास कहा जा सकता है।

स्पष्टतः यह कहा जा सकता है पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलने से वे स्वयं के विरूद्ध होने वाले असमानता, अन्याय व शोषण के विरूद्ध लड़ पाने में ज्यादा सक्षम होगी। साथ ही समाज में महिलाओं के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन :

ग्रामीण जीवन और नेतृत्व के विषय में अनेक अध्ययन किए गये हैं, पर लोकतांत्रिक विकेन्द्रिकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ज्यादातर अध्ययन बलवंत राय मेहता कमेटी (1957) की रिपोर्ट के पश्चात ही देखने को मिलता है। क्योंकि इसी कमेटी के बाद भारत में पंचायती व्यवस्था की नींव पड़ी। प्रस्तुत अध्ययन पंचायती राज व्यवस्था महिला नेतृत्व से संबंधित है ऐसे मे उन सन्दर्भित अध्ययनों की समीक्षा की गयी है जो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। जो कि निम्नलिखित है:–

एस.एस.ढिल्लन (1955) ने दक्षिण भारतीय ग्रामों में नेतृत्व एवं वर्ग संबंधी अध्ययन किया। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होने स्पष्ट किया कि भारतीय ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप में मुख्य रूप से तीन तत्व प्रभावी होते है– प्रथम, परिवार का उच्च सामाजिक स्तर, द्वितीय परिवार का आर्थिक स्तर एवं तृतीय, व्यक्तित्व के लक्षण।

ऑस्कर लेविस (1958) ने उत्तर भार के ग्रामीण जीवन से संबंधित अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि भारत में ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण धन, पारिवारिक प्रतिष्ठा, आयु, व्यक्तित्व के लक्षण, शिक्षा, बाहय नेतृत्व से मेलजोल एवं प्रभाव, पारिवारिक प्रभावशीलता एवं वंश आदि तत्वों पर निर्भर करता है।

बैजनाथ सिंह (1959) ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ग्रामीण नेतृत्व पर प्रभावों को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के संक्षिप्त अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया है। उनके अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया युवा नेतृत्व वर्ग जो कि मध्यम आय वर्ग से है, उत्पन्न किया है। इस नेतृत्व वर्ग ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए मूल्यों एवं आशाओं का सूत्रपात किया है।

अवतार सिंह (1963) ने ग्राम सरंचना एवं नेतृत्व पद्धति संबंधी अध्ययन भारत के 6 गांवों के क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने नेतृत्व संबंधी विभिन्न पद्धतियों का विश्लेषण किया है। प्रतिष्ठामूलक, नेतृत्व, पदमूलक नेतृत्व एवं कियामूलक नेतृत्व को अपने अध्ययन में उन्होने विशेष एवं विस्तृत किया है।

हेराल्ड आइजक (1965) का अध्ययन यह दर्शाता है कि कानून द्वारा अस्पश्यता उन्मूलन के पश्चात् भी अनुसूचित जाति के सदस्य अनेक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक निर्योग्यताओं से ग्रसित है। यह अध्ययन समूह तादात्मीकरण और राजनीतिक परिवर्तन के पारस्परिक सम्बंध को विश्लेषित करने के लिए अनुसुचित जाति के पचास शिक्षित सदस्यों पर आधारित है। अध्ययन से यह विदित होता है कि शिक्षा और सरकारी नौकरी के कारण अनुसुचित जाति की स्थिति में परिवर्तन हुआ है तथापि निर्धनता के कारण अभी भी अनेक समस्यायें बनी हुई है। उनका यह निष्कर्ष है कि अनुसुचित जाति को प्रदत्त सुविधाओं के कारण जाति समीकरण ओर तादात्मीकरण की वृद्धि हुई है न कि उनमें शिथिलता आयी है। नवीन राजनीतिक संरचना ने व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति वृद्धि करने का जो अवसर प्रदान किया है उससे अनुसुचित जाति के सदस्य सामान्यतः वंचित रहे है।

एम. वैकंटारगैय्या एवं जी. रामरेड्डी (1967) ने पंचायत राज का अध्ययन आंध्रप्रदेश के संदर्भ में किया है। अपने अध्ययन में उन्होने आंध्रप्रदेश में पंचायत राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए इन संस्थाओं की बेहतरी के लिए गठित विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं की विवेचना भी की है। इसके अतिरिक्त उन्होने तत्कालीन समय में आंध्रप्रदेश में लागू पंचायत राज व्यवस्था की संरचना की चित्रण करते हुए संस्थाओं की वित्तीय, प्रशासनिक एवं राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण भी किया है।

ओ. एम. लीन्च (1969) के अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया है कि स्वतंत्रता और नवीन जनवादी संरचना के कारण आगरा के जाटव समुदाय में क्या परिवर्तन आया है। सन्दर्भ–समूह और भूमिका सिद्धांत का प्रयोग करते हुए लीन्च ने यह देखने का प्रयत्न किया है कि अनुसुचित जाति के लोग समज के अन्य सदस्यों से सामाजिक अन्तः किया की पृष्ठभूमि में किन नवीन प्रतिमानों को ग्रहण कर रहे है। अध्ययन से यह विदित होता है कि जाति अब राजनीति के एक वोट बैक के रूप में अपनी शक्ति का संचय कर रहा है। जांतिगत नेतृत्व परम्परागत व्यक्तियों के हाथ में न रहकर राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथ में हस्तान्तरित हो रहा है। राजनीतिक सहभागिता का लक्ष्य जातिगत हितों की पूर्ति करना बनता जा रहा है। आरक्षण की नीति ने जहां निम्न जाति के कुछ सदस्यों को लाभान्वित किया है, वहीं अनुसुचित जाति की निम्न स्थिति को बनाए रखना एक निहित स्वार्थ बनता जा रहा है। आरक्षण का लाभ थोड़े से चुने हुए व्यक्तियों को मिला है। शिक्षित व्यक्ति अपने समुदाय के अन्य व्यक्तियों को लाभान्वित नहीं कर पा रहे है।

बी. एस.भार्गव (1979) ने स्थानीय नेतृत्व संबंधी अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि पंचायत संस्थाओं के प्रमुख नेताओं एवं उच्च स्तर के नेतृत्व के बीच नए प्रकार के

राजनीतिक संबंध विकसित हुए है जिसके तहत पंचायत स्तर पर नेतृत्व उच्च स्तर के नेतृत्व के लिए वोट बैंक के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ है एवं इस प्रकार से सौदेबाजी की एक नई राजनीति का प्रचलन हुआ है।

शोध पद्धति :–

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में महिला नेतृत्व शोधार्थी एक राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं को ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता विभिन्न प्रतिनिधियों को आधार मानकर अध्ययन किया गया है। छत्तीसगढ़ के समस्त ग्राम पंचायतों के आधार पर अधिकांश महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार अधिक से अधिक सदस्यों से प्रश्नावली एंव अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। जिसमे ज्यादातर सदस्यों से जानकारी प्राप्त की गई है। जिससे निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :–

वर्तमान समय में पूरे विश्व में यह धारणा प्रबल हो चुकी है कि जिस देश में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आएंगी वह देश प्रगति सबसे अधिक प्रगति कर सकता है। प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में महिला नेतृत्व पर आधारित है। जिसे सशक्त बनाने के लिए प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार है –

1. महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य हो।
2. जनजागरूकता में वृद्धि हो।
3. छ.ग.में मद्यपान पर प्रतिबंध हो।

4. शासन द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो।

5. प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व निश्चित किया जाये।

6. पुरूष वर्ग को महिला नेतृत्व का सम्मान करना होगा।

7. महिलाओं को सामाजिक स्तर पर पुरूष के समकक्ष अधिकार प्राप्त हो।

8. समाज में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार समाप्त हो।

9. शासन द्वारा इनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं प्रारंभ की जायें।

10. महिला नेतृत्व को मुखर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था शासन द्वारा की जानी चाहिए।

11. छ.ग. में महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए टोहनी प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाये।